न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
283/18	23.08.2018	07.06.2019

1 भौरिया पुत्र बुद्धा उम्र 75 साल जाति जाट निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0

वादी–

बनाम

1 अशोक कुमार कटारिया पुत्र श्री फेरुमल जाति सिन्धी निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

प्रतिवादी–

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी

उपस्थिति–

1 श्री हंसराज यादव – वकील वादी

–ःनिर्णयः–

दिनांक :–07.06.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई वकील वाद उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा की अराजी ख0न0 62/0.70 हैक्ट0 ग्राम वाके मातौर तह0 मुण्डावर में स्थित होकर मिन वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी की दर्ज रिकार्ड है आज दिन भी मिन वादी आराजी पर काबिज है उक्त विवादित आराजी के दिशा उतर डोल में प्रतिवादी की अलोट शुदा खातेदारी की खसरा नम्बर 63 स्थित है। मिन वादी की आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध, सरोकार या कब्जा नहीं रहा किन्तु प्रतिवादी बेईमानी पूर्वक व मुकदमेबाज होने के कारण वादी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर तुला हुआ है और डोल को मिसमार करने की चेष्टा में है दिनांक 12.08.2018 को प्रतिवादी ने वादी की डोल तोडकर कब्जा करने का असफल प्रयास किया आसपास के लोगो के समझाईश करने का प्रयास किया किन्तु एलानिया धमकी दी की कब्जा करके रहूंगा। यदि प्रतिवादी अपनी इस बेजा कार्यवाही को पूर्ण करते हुए नाजायज कब्जा कर लिया तो वादी को अजहद हानि होगी। चूंकि हकूक वादी कानून द्वारा रक्षित है एंव विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबन्द कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुए जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से प्रतिवादी को पाबन्द किये जावे की वो वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना ही आराजी की डोल आदि तोडकर किसी जुज्ज हिस्सा पर जबरन कब्जा ना करे रिकार्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड समन तलवाने से तलब किया गया। बाद विधिगत तलवी हाजिर अदालत नहीं आने की स्थिति में प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

Scanned by CamScanner

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्नो को दोहराते हुए प्रतिवादी को वादी के आराजी खसरा नम्बर 62/0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर में वादी के कब्जा काश्त ने किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करने डोल आदि तोडकर जबरन बेदखल नहीं करने एंव सदैव के लिए हु0 ई0 से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी। पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबंदी सम्मत 2069–72 के अवलोकन से स्पष्ट विदित है कि विवादित आराजी से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 62/0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादी के वाद डिक्री किया जाता है एंव प्रतिवादी को हुक्म ईम्तनाई दवामी से सदैव–2 के लिये पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त विवादित आराजी की डोल नहीं तोडे ना ही जबरन बेदखल कर किसी भी हिस्सा पर कब्जा करे ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करे पावन्द रहे।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताकक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

7/6/19

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner